

## फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री त्रिभुवन निवासी मकान नं. 205, पीपली चॉक, टेकरी, पुलिस लाईन, कजलीवॉन कॉलोनी, उदयपुर

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 36/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 07.08.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्रांक क्रमांक सू0अ,05/2023/51 दिनांक 28.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना विस्तृत होने से कार्यालय कार्यदिवस में उपस्थित हो चाही गई सूचना को चिन्हित लेवें ताकि चाही गई वांछित सूचना को अतिशीघ्र नियमानुसार आपको उपलब्ध कराई जा सके।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना विस्तृत होने से कार्यालय में कार्यदिवस में उपस्थित होकर नियमानुसार अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द में कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्राप्त करे। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी  
(जिला कलक्टर) राजसमंद